भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना)

- **योजना का नाम:** भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना)

- **योजना का उद्देश्य :** योजना का उद्देश्य अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

- **शैक्षणिक योग्यता :** न्यूनतम 8 वी कक्षा उत्तीण ।

- **योजना का क्रियान्वयन:** भगवान बिरसा मुण्डा योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा सहायक आयुक्त /जिला संयोजक /शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन कराया जावेगा

- **पात्रता:**
  - योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
  - आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  - आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
  - आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।
  - किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
  - यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
  - सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
  - योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

- **वित्तीय सहायता:**
  - उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाए
  - सेवा (सर्विस) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाए
  - ब्याज अनुदान - योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) पर प्रतिवर्ष 5% अथवा वास्तविक, (जो भी कम हो) की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा

सपने हो रहे साकार

भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना बनी आधार

50 लाख तक के ऋण की सुविधा

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए चलाई जा रही भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना

योजना के अंतर्गत विनिर्माण गतिविधियों के लिए **₹ 50 लाख** तक तथा सेवा व्यवसाय गतिविधियों के लिए **₹25 लाख** तक की परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने का है प्रावधान

अभ्यर्थी samast.mponline.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं

मध्यप्रदेश शासन

स्व-रोजगार से जुड़ेंगे
अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा

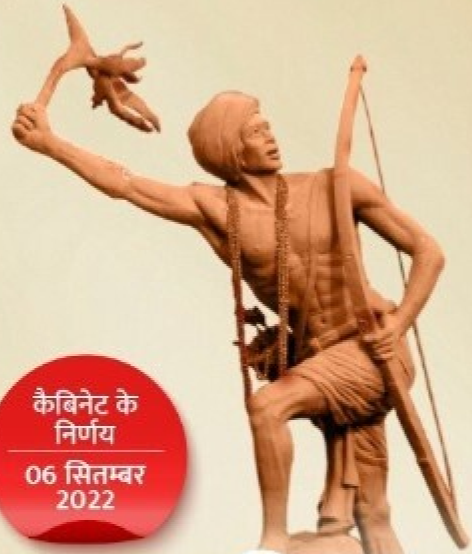

कैबिनेट के निर्णय
06 सितम्बर 2022

भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना को मंजूरी

- विनिर्माण गतिविधियों के लिए **₹1 लाख से 50 लाख** तक का मिलेगा ऋण
- व्यवसाय गतिविधियों के लिए **₹1 लाख से 25 लाख** तक की परियोजनाओं के लिए मिल सकेगा लोन
- 5% प्रतिवर्ष की दर से दिया जाएगा ब्याज अनुदान